

आदेश सं०— 28 दिनांक— 23.04.2026

Constitution of Internal Complaint Committee in view of Section 4 of Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 एवं माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल के पत्रांक 1973/UHC/Admin.B/VIII-51/2008 दिनांक 22 अप्रैल, 2015 के अनुपालन में जिला न्यायालय, बागेश्वर में कम्प्लेन्ट कमेटी का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता है—

1. मिस. शिवानी नाहर, सिविल जज (जू०डि०), बागेश्वर — अध्यक्ष
 2. श्रीमती हंसी रौतेला (सामाजिक कार्यकर्ता) — सदस्य
 3. श्रीमती मुन्नी दुग्ताल — सदस्य
 4. श्रीमती गंगा धपोला — सदस्य
 5. श्री मनोज कुमार — सदस्य
 6. श्री विपिन चन्द्र रिखाड़ी — सदस्य
2. उपर्युक्त गठित कमेटी, बागेश्वर जिला न्यायालय प्रतिष्ठान की लैंगिक संवेदनशीलता समिति (Sensitization Committee) और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये यौन उत्पीड़न समिति (Sexual Harassment Committee for Transgender persons) के रूप में भी कार्य करेगी।
3. लैंगिक संवेदनशीलता समिति, लैंगिक समानता को बढ़ावा देगी, भेदभाव रोकेंगी और कार्यस्थलों के भीतर एक सुरक्षित, समावेशी और सम्मानजनक वातावरण को बढ़ावा देगी।

जिला न्यायाधीश, बागेश्वर।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित—

1. सिविल जज (जू०डि०), बागेश्वर।
2. संबंधित सदस्यगण।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
जिला न्यायालय, बागेश्वर।